आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा

प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त, हाथरस व अलीगढ़ की घटनाओं से यह साबित हुआ

अलीगढ़, 8 जुलाई (भाषा)।

बिजनौर की नगीना सीट से सोमवार को आरोप लगाया कि हाथरस भगदड़ कांड और अलीगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की पीट-पीटकर की गई हत्या से यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

अलीगढ़ में 18 जून को फरीद उर्फ औरंगजेब की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। फरीद और गत दो जुलाई को हुए हाथरस भगदड़ कांड में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात करने आये आजाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'ये दोनों घटना इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवा का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है।' उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही मामलों में पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं।

आजाद ने अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 'मृतक के परिजन ने मुझे बताया कि बर्बरतापूर्ण पिटाई किए जाने से फरीद के शरीर की 22 हड्डियां टूट गई थीं। उसे लोहे और स्टील की छड़ों से पीटा गया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी।' *सांसद* ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें इस बारे में अवगत कराएंगे।

आजाद ने अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 'मृतक के परिजन ने मुझे बताया कि बर्बरतापूर्ण पिटाई किए जाने से फरीद के शरीर की 22 हड्डियां टूट गई थीं। उसे लोहे और स्टील की छड़ों से पीटा गया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी।' उन्होंने दावा किया कि इस मामले में नामजद होने के बावजूद छह से ज्यादा आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि मृतक के कई परिजनों के खिलाफ डकैती के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायतंत्र किस तरीके से काम कर रहा है।

आजाद ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें इस बारे में अवगत कराएंगे। भगदड़ मामले में भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं किए जाने के सवाल पर सांसद ने कहा, 'मैं कैसे किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर सकता हूं जिसे पुलिस ने मुकदमे में नामजद करना ठीक नहीं समझा। भगदड़ मामले में निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है जबकि यह पूरा हादसा प्रशासन की घोर विफलता का नतीजा था।

मंत्री संजय निषाद ने कहा

हाथरस जैसे हादसों को रोकने के लिए विज्ञान व तकनीकी कानून की जरूरत

इटावा, 8 जुलाई (जनसत्ता)।

उत्तरप्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि भविष्य में हाथरस जैसे हादसों को रोकने के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत है,अगर वाकई में विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर कानून बनाया जाता है तो फिर हाथरस जैसे कांड किसी भी सूरत में नही हो पाएंगे।

मत्स्य मंत्री संजय निषाद सोमवार को मत्स्य विभाग के जिला कार्यालय का सघन निरीक्षण करने के बाद इटावा मुख्यालय पर विकास भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। निषाद ने हाथरस कांड की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसलिए आगे आने वाले समय में वर्चुअली धार्मिक आस्था और संस्कार सत्संग आयोजित किए जाने की बड़ी जरूरत पर बल दिया है।

उन्होंने कहा कि हाथरस जैसे हादसों को रोकने के लिए सरकार को पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को एक साथ बैठक कर कानून का मसौदा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथरस जैसे कांड बेहद दुखद है, जब वर्चुअल रैली की जा सकती है वोट मांगे जा सकते हैं तो तकनीक का सहारा लेकर आस्था और संस्कार जैसे सत्संग संपन्न किया जा सकते हैं। इससे दो तरह के फायदे हर हाल में होगे, एक तो इन कार्यक्रमों में भारी भीड़ नहीं होगी दूसरे जब भीड़ नहीं होगी तो फिर किसी भी तरह की अनहोनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने हाथरस की घटना पर दुखद जताया है, उन्होंने कहा कि अब धार्मिक, आस्था और सत्संग जैसे आयोजनों में भीड़ कम जुटाई जाए। उन्होंने मांग की है कि जब वर्चुअल रैली कर सकते हैं,वोट मांग सकते हैं तो अब वर्चुअल आस्था और संस्कार सिखाए जा सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि अब धार्मिक, आस्था और सत्संग जैसे आयोजनों में भीड़ कम जुटाई जाए।

दो युवकों ने की आत्महत्या

सहारनपुर, 8 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले में गंगोह और बड़गांव थाना क्षेत्रों में दो युवकों ने आत्महत्या कर ली। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गंगोह के गुलाम ओलिया मोहल्ले में 30 वर्षीय युवक रिजवान ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली।

थाना प्रभारी एचएन सिंह के मुताबिक रिजवान नशे का आदी था इसी कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। रिजवान ने दोपहर के वक्त चाकू से अपना गला काट लिया। उसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई।

दूसरी घटना थाना बड़गांव के झबीरन गांव में 20 वर्षीय युवक गौरव ने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने घर में अकेला था। पुलिस को मौके से एक सुसाइट नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है कि अकेलेपन से परेशान था।

बनारस में पति ने की आत्महत्या, तो गोरखपुर में पत्नी ने दे दी जान

वाराणसी, 8 जुलाई (जनसत्ता)।

वाराणसी में पति ने आत्महत्या की तो इसकी जानकारी होते ही गोरखपुर में रह रही उसकी पत्नी ने भी छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मचा है।

पुलिस की पूछताछ में होम स्टे संचालक ने बताया कि एक एप के माध्यम से हरीश ने कमरा नंबर-202 बुक किया था। पांच जुलाई की रात वह अपने कमरे में आया था। हरीश के रिश्तेदार पांडेयपुर निवासी राजू कुमार सोमवार की सुबह होम स्टे में आए और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा न खुलने पर उन्होंने संचालक को सूचना दी। संचालक ने रोशनदान से झांक कर देखा तो हरीश पंखे के हुक से रस्सी के फंदे के सहारे लटका हुआ था। सूचना पाकर सारनाथ थाने की पुलिस मौके पर आई और दरवाजा तोड़ कर शव को नीचे उतरवाया।

पुलिस को ससुर मनोचिकित्सक राम शरण श्रीवास्तव ने बताया कि हरीश बेरोजगारी के कारण अवसाद ग्रस्त रहता था और नशे का आदी भी हो गया था। हरीश की आत्महत्या की सूचना पाकर उसकी पत्नी संचिता ने अपने मकान की छत से कूद कर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि हरीश और संचिता इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए राजघाट क्षेत्र स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लिए थे। वहीं उन दोनों की दोस्ती हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद संचिता माडलिंग करने लगी थी और हरीश प्राइवेट बैंक में नौकरी करने लगा।

फंदे से लटक कर छात्र ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी

बरेली, 8 जुलाई (जनसत्ता)।

थाना किला क्षेत्र में इंटर के एक छात्र ने अपने घर के अंदर फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल की फारेन्सिक जांच कराने के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के प्रयास में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना किला क्षेत्र के चौधरी तालाब मोहल्ले में यश नाम का एक छात्र यहां अपने दादा और चाचा के साथ रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहा था। छात्र के माता और पिता दोनों दिल्ली में नौकरी करते हैं। थाना किला की पुलिस ने बताया कि रविवार की शाम को छात्र के आत्महत्या करने की सूचना उसके परिवार ने दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कराने के अलावा परिजनों और आसपास के लोगो से पूछताछ भी की है। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में यह आत्महत्या का मामला पाया गया, हांलाकि घटनास्थल से मृतक का कोई आत्महत्या पत्र (सुसाइड नोट) नहीं मिला है। मृतक के चाचा ने पुलिस को बताया कि घटना की सूचना मृतक छात्र के माता पिता को दी गई है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रपट आने के बाद आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच कराकर इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक की नई पहल, जनता की समस्याओं का तत्काल होगा समाधान

चंदौली, 8 जुलाई (जनसत्ता)।

जनपद में जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने एक नई पहल करते हुए सभी थानाध्यक्षों एवं चौकी इंचार्जों को सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक गूगल मीट ऐप के जरिए एसपी के साथ जुड़े रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक ने जनसत्ता को बताया कि इससे लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार थानों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शीघ्र समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India (A Govt. of India Undertaking)
भारत सरकार का उपक्रम
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
यूनियन बैंक भवन, प्रथम तल, विभूति खण्ड, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष-0522-2306915, 2305900

अधिग्रहण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13 (2) तथा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था।

ऋणी के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **सांकेतिक आधिपत्य** ग्रहण कर लिया गया है।

ऋणग्रहिता को विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्तियों के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और निम्न संपत्तियों का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** का बकाया धनराशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। **अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान के अनुसार ऋणी को अवगत कराया जाता है कि, दिये गये समय के अन्तर्गत भुगतान करके निम्नांकित बंधक आस्तियों को मुक्त करा लें।**

क्र. सं.	1) ऋणकर्ता का नाम व पता 2) जमानतकर्ता का नाम व पता 3) कानूनी उत्तराधिकारी 4) शाखा	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि / सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि / बकाया धनराशि
1.	**1. मेसर्स प्रेम इंटरप्राइजेज (प्रोप. श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र स्व. प्रेम बाबू रस्तोगी),** पताः मकान संख्या 77 ए, आशुतोष नगर, सूर्या नगर रेलवे क्रॉसिंग, निकट ओम गेस्ट हाउस, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश **1क. श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र स्व. प्रेम बाबू रस्तोगी,** पताः मकान संख्या 77 ए, आशुतोष नगर, सूर्या नगर रेलवे क्रॉसिंग, निकट ओम गेस्ट हाउस, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश **2. कोई नहीं 3. श्री आलोक रस्तोगी पुत्र स्व. श्री प्रेम बाबू रस्तोगी,** पताः मकान संख्या 77 ए, आशुतोष नगर, सूर्या नगर रेलवे क्रॉसिंग, निकट ओम गेस्ट हाउस, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश (जमानतकर्ता स्व. श्रीमती माया रस्तोगी के कानूनी उत्तराधिकारी) **3क) श्री आशीष रस्तोगी पुत्र स्व. श्री प्रेम बाबू रस्तोगी,** पताः मकान संख्या 77 ए, आशुतोष नगर, सूर्या नगर रेलवे क्रॉसिंग, निकट ओम गेस्ट हाउस, राजाजीपुरम, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश (जमानतकर्ता स्व. श्रीमती माया रस्तोगी के कानूनी उत्तराधिकारी) **4) राजाजीपुरम-एलआईसी शाखा** ईमेल-ubin0921394@unionbankofindia.bank	साम्यिक बंधक मकान संख्या 77-ए, खसरा संख्या- 647 मिन, ग्राम- देवपुर, वार्ड केसरी खेड़ा, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफल-74.34 वर्ग मीटर, स्वामित्व- श्रीमती माया रस्तोगी पत्नी स्व. श्री प्रेम बाबू रस्तोगी, चौहद्दी:-पूर्व-** प्लॉट समिति, **पश्चिम-**प्लॉट समिति, **उत्तर-**अन्य की भूमि, **दक्षिण-** सड़क 18 फीट चौड़ी सड़क	20.04.2024 / 06.07.2024 (सांकेतिक) / रू. 10,48,035.14 + दिनांक 01.04.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए
2.	**1. मेसर्स शुभम फार्मा,** पताः ई- 5136, दुकान संख्या-4, सेक्टर- 11, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017 **1क. श्री अरुण कुमार तिवारी पुत्र श्री सनेही लाल तिवारी,** पताः ई- 5136, सेक्टर- 11, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017 (मेसर्स शुभम फार्मा के खाते में पार्टनर और जमानतकर्ता) **1ख. श्रीमती अनुपम तिवारी पत्नी श्री अरुण कुमार तिवारी,** पताः ई- 5136, सेक्टर- 11, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017 (मेसर्स शुभम फार्मा के खाते में पार्टनर और जमानतकर्ता) **1ग. श्री शुभम तिवारी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवारी,** पताः ई- 5136, सेक्टर- 11, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017 (मेसर्स शुभम फार्मा के खाते में पार्टनर और जमानतकर्ता) **3. लागू नहीं 4) राजाजीपुरम-एलआईसी शाखा** ईमेल-ubin0921394@unionbankofindia.bank	**1.** साम्यिक बंधक मकान संख्या ई-5136, राजाजीपुरम, सेक्टर-11, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति स्वामित्वः श्री अरुण कुमार तिवारी पुत्र श्री सनेही लाल तिवारी, क्षेत्रफल- 78.17 वर्ग मीटर, चौहद्दी:- पूर्व**-रोड, **पश्चिम**-मकान संख्या ई-5136, **उत्तर**-मकान संख्या ई-5138, **दक्षिण**-रोड **2.** साम्यिक बंधक मकान नंबर ई-4850, राजाजीपुरम, ई-ब्लॉक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति स्वामित्वः श्रीमती अनुपम तिवारी पत्नीः श्री अरुण कुमार तिवारी, क्षेत्रफल-** 50.67 वर्ग मीटर, **चौहद्दी:- पूर्व**-मकान संख्या ई-4852, **पश्चिम**-मकान संख्या ई-4848, **उत्तर**-मकान संख्या ई-4860, **दक्षिण**-रोड 9.00 मीटर चौड़ा	21.02.2024 / 06.07.2024 (सांकेतिक) / रू. 15,37,474.23 + दिनांक 01.02.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए
3.	**1. श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री रवि जायसवाल,** पताः ई- 4013/30, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 **1क. श्री रवि जायसवाल पुत्र श्री चंदन लाल,** पताः ई-4013/30, सेक्टर - 12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 **2. कोई नहीं 3. लागू नहीं 4. मोहनलालगंज शाखा** ईमेल-ubin0914568@unionbankofindia.bank	साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन स्थित प्लॉट संख्या 23-ए, खसरा संख्या 406/7/2 का मिन जुमला, मोहल्ला-बरौरा हुसैनबाड़ी, वार्ड-कन्हैया माधवपुर, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति का स्वामित्वः श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री रवि जायसवाल, क्षेत्रफल- 500.00 वर्ग फीट या 46.468 वर्ग मीटर, चौहद्दी:- पूर्व**-आराजी समिति, **पश्चिम**-रास्ता 15.00 फीट, **उत्तर**-आराजी समिति, **दक्षिण**-रास्ता 10.00 फीट	20.02.2024 / 06.07.2024 (सांकेतिक) / रू. 17,69,789.66 + दिनांक 01.02.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए
4.	**1. मेसर्स न्यू अयान ट्रेडर्स,** पताः खसरा संख्या 1536, शीतला माता मंदिर के पास, ग्राम व पोस्ट बिजनौर, सरोजिनी नगर, लखनऊ- 226002, उत्तर प्रदेश **1क. श्री मोहम्मद फहीम,** पताः ग्राम व पोस्ट बिजनौर, पटवारी मोहल्ला, ब्लॉक- सरोजिनी नगर, लखनऊ- 226002 **2. श्री मोहम्मद शरीफ खान,** पताः 551क/401, मिलावां, वार्ड जय प्रकाश नगर, संजय गांधी मार्ग, गली नंबर - 3, आजाद नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226005 **3. लागू नहीं 4. नटकुर शाखा** ईमेल-ubin0915238@unionbankofindia.bank	साम्यिक बंधक मकान संख्या 551/क/401, आजाद नगर, आलमबाग, मिलावां, वार्ड-जय प्रकाश नगर, संजय गांधी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति का स्वामित्वः श्री मोहम्मद शरीफ खान, क्षेत्रफल-65.05 वर्ग मीटर, चौहद्दी:- पूर्व**- भगवती प्रसाद शर्मा का मकान, **पश्चिम**-अंसारी साहब का मकान, **उत्तर**-10.00 फीट रोड, **दक्षिण**-शंभुवती देवी का मकान	23.01.2024 / 08.07.2024 (सांकेतिक) / रू. 10,30,757.77 + दिनांक 01.01.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए
5.	**1. श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव,** पताः खसरा संख्या 44-ए का प्लॉट, निजामपुर, मल्हौर, निकट मल्हौर एस्टेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 1क. श्री दीपक श्रीवास्तव, पताः 12 83, सेक्टर-12, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **2. कोई नहीं 3. लागू नहीं 4. विराज खंड शाखा** ईमेल-ubin0917699@unionbankofindia.bank	साम्यिक बंधक भूमि व भवन स्थित खसरा संख्या 44 ए का मिन जुमला का प्लॉट, ग्राम- निजामपुर मल्हौर, परगना- लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति का स्वामित्वः श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव पुत्री स्व. श्री अमरनाथ श्रीवास्तव, क्षेत्रफल- 800.00 वर्ग फीट यानि 74.349 वर्ग मीटर, चौहद्दी:- पूर्व**- प्लॉट श्रीमती लालमणि, **पश्चिम**- प्लॉट संख्या-13, **उत्तर**- सड़क 15.00 फीट चौड़ी, **दक्षिण**- आराजी दीगर	15.02.2024 / 08.07.2024 (सांकेतिक) / रू. 17,73,786.45 + दिनांक 01.02.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए

दिनांकः 09.07.2024, स्थानः लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

KVB Karur Vysya Bank Smart way to Bank

परिसंपत्ति वसूली शाखा, सं. 6, तृतीय तल, मेट्रो पिलर सं. 80 के सम्मुख, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005,
दूरभाष सं.: 7823919520, दूरभाष : 011-35008283, ईमेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई-नीलामी सूचना : ई-नीलामी 20-08-2024 को

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत तथा निम्नलिखित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की ओर से निम्न वर्णित शाखाओं के दि **करूर वैश्य बैंक लिमिटेड** को देय निम्नांकितानुसार प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिये गये निम्नलिखित ऋणकर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अनुपालन में।

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अचल संपत्तियों को ई-नीलामी पर रखने का निर्णय लिया है अतएव **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" तथा "बिना संसाधन"** आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों के क्रयार्थ ई-निविदा के माध्यम से प्रस्ताव निमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	ऋणप्रदायक शाखा	संपत्ति की अवस्थिति	संपत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रू. में)	धराज राशि (रू. में)	संपर्क हेतु व्यक्ति / दूरभाष संख्या / ईमेल
1.	श्रीमती अनुप्रिया सिंह	वाराणसी	आवासीय भूमि एवं भवन जो अरजी नं. 971 पर, मौजा गोइठन, शिवपुर, वाराणसी - 221 003 में स्थित है।	आवासीय भूमि एवं भवन	24,00,000	2,40,000	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvb mail.com
2.	श्री श्रीनिवास मौर्य	वाराणसी	अरजी नं. 20/5 पर, प्लॉट नं.20/5, भूतल, मौजा पुलकोहना वार्ड सारनाथ, वाराणसी में स्थित है।	आवासीय मकान	45,81,000	4,60,000	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvb mail.com
3.	मैसर्स साईं बिल्डिंग मैटीरियल	वाराणसी	संपूर्ण भवन नं.एसएचआई-7/10, वार्ड शिवपुर, भगतपुर गांव, परगना शिवपुर, तहसील सदर एवं जिला वाराणसी-221003	आवासीय मकान	77,00,000	7,70,000	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvb mail.com
4.	मैसर्स कमल ट्रेडर्स	वाराणसी	अरजी नं. 68 पर मकान संख्या सी-3/136-ए-4-आर चेतगंज छित्तूपुर मौजा छित्तूपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश	आवासीय मकान	54,54,000	550000	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvb mail.com
5.	मैसर्स पूजा एंटरप्राइजेज	वाराणसी	आवासीय भूमि एवं भवन अरजी नं. 587 घमहापुर कसवार राजा राजातालाब वाराणसी उत्तर प्रदेश 221302	आवासीय भवन	40,32,000	450000	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvb mail.com

ऋणकर्ताओं के विवरण : क्र. सं. 1 : वाराणसी शाखा ऋण कर्ता का नाम -(1) श्रीमती अनुप्रिया सिंह (उर्फ अनुप्रिया सिंह),पत्नी अमित कुमार सिंह,तारापुर प्राथमिक विद्यालय, साई उदयपुर, वाराणसी - 221 101 (2) श्री अमित कुमार सिंह,पुत्र स्वर्गीय श्रीराम सिंह,तारापुर प्राथमिक विद्यालय, साई उदयपुर, वाराणसी -221 101, दिनांक 30.06.2024 तक **कुल बकाया राशि रु. 35,89,827.83 (पैंतीस लाख नवासी हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये और तिरासी पैसे मात्र)** ब्याज, लागत, अन्य प्रभार और उस पर खर्च सहित।

क्र. सं. 2 : वाराणसी शाखा ऋणकर्ताओं के नाम - (1) श्री श्रीनिवास मौर्य, पुत्र श्री पन्ना लाल मौर्य, एसए-20/167, ए-1, सी-27/273-3ए, मोहल्ला, पैगंबरपुर समथ पोस्ट, रसूलगढ़, वाराणसी - 221 007, उत्तर प्रदेश। **कुल देय : 30.06.2024 के अनुसार रु. 40,90,162.23 (रुपये चालीस लाख नब्बे हजार एक सौ बासठ और तेईस पैसे मात्र)** भावी ब्याज, लागत, अन्य प्रभार और उस पर खर्च सहित।

क्र. सं. 3 : वाराणसी शाखा ऋणकर्ता का नाम - मैसर्स साई बिल्डिंग मैटीरियल, संपत्तिः देवता नंद उपाध्याय एसएच-7/10, भगतपुर, शिवपुर, तहसील सदर, वाराणसी - 221003, **कुल देयः 30.06.2024 के अनुसार रु. 36,91,435.08 (रुपये छत्तीस लाख इक्यानबे हजार चार सौ पैंतीस और आठ पैसे मात्र)** भावी ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और व्यय के साथ।

क्र. सं. 4 : वाराणसी शाखा ऋणकर्ता का नाम- मैसर्स कमल ट्रेडर्स, श्री धीरज जायसवाल, (स्वामी), सी-33/136-ए-4-आर, मोहल्ला/मौजा - छित्तरपुर, वार्ड - चेतगंज, परगना - देहात अमानत, तहसील और जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001। **कुल देय : 30.06.2024 के अनुसार रु. 74,03,855.32 (रुपये चौवहत्तर लाख तीन हजार आठ सौ पचपन और बत्तीस पैसे मात्र)** भावी ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च के साथ है।

क्र. सं. 5 : वाराणसी शाखा ऋणकर्ता का नाम - मैसर्स पूजा एंटरप्राइजेज, सी-33/136-ए-4-आर, मोहल्ला/मौजा - छित्तरपुर, वार्ड - चेतगंज, परगना - देहात अमानत, तहसील और जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001, **कुल देय : 30.06.2024 के अनुसार रु. 33,27,043.24 (रुपये तैंतीस लाख सत्ताईस हजार तैंतालीस और चौबीस पैसे मात्र)** भावी ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और व्यय सहित।

बंधक परिसंपत्तियां : क्र. सं. 1 : अरजी नं. 971, मौजा गोइठहां, शिवपुर, वाराणसी - 221 003 में आवासीय भूमि और भवन तथा **उत्तर में घिरा :** कुसुम सिंह की भूमि **दक्षिण :** कच्चा रास्ता 13 फीट चौड़ी सड़क **पूर्व :** उक्त आराजी का शेष भाग **पश्चिम :** कुसुम सिंह की भूमि
आरक्षित मूल्य - रु. 24,00,000.00 **ईएमडी - रु. 2,40,000.00**

क्र. सं. 5 : अरजी नं. 20/5, प्लॉट नं. 20/5, भूतल, मौजा पुलकोहना, वार्ड सारनाथ, वाराणसी- 221 007 में आवासीय मकान जिसकी माप लगभग 1800 वर्ग फुट है तथा **उत्तर में घिरा :** हरि की भूमि **दक्षिण :** कच्चा रास्ता 16 फुट चौड़ा **पूर्व :** सरदा की भूमि **पश्चिम :** प्यारी देवी की भूमि
आरक्षित मूल्य - रु. 45,81,000.00 **ईएमडी - रु. 4,60,000.00**

क्र. सं. 3 : संपूर्ण भवन क्रमांक एसएचआई-7/10, वार्ड शिवपुर, भगतपुर गांव, परगना शिवपुर, तहसील सदर और जिला वाराणसी - 221 003 और इसकी **सीमाएंः पूर्वः** विक्रेता की भूमि **पश्चिमः** सत्यजीत सिंह का मकान उत्तरः विक्रेता की भूमि **दक्षिणः** जड़ावती देवी की आंशिक भूमि
आरक्षित मूल्य - रु. 77,00,000.00 **ईएमडी- रु. 7,70,000.00**

क्र. सं. 4 : आवासीय भूमि अरजी सं. 68 मकान सं. सी-3/136-ए-4-आर चेतगंज छित्तूपुर मौजा छित्तूपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 606 वर्ग फुट **उत्तरः** मकान विक्रेता का शेष भाग **पूर्वः** 4'-0" चौड़ी कच्ची गली **दक्षिणः** चौका पत्थर गली **पश्चिमः** श्रीमती पार्वती एम की भूमि
आरक्षित मूल्य - रु. 54,54,000.00 **ईएमडी - रु. 5,50,000**

क्र. सं. 5 : आवासीय भूमि एवं भवन अरजी संख्या 587 घमहापुर कसवार राजा राजातालाब वाराणसी उत्तर प्रदेश 221302 **उत्तरः** मूल चंद की भूमि **पूर्वः** सीमा मार्कण्डेय शर्मा **दक्षिणः** गंगापुर से रोहनिया तक सड़क **पश्चिमः** अन्य की सीमा
आरक्षित मूल्य - रु. 40,32,000 **ईएमडी- रु. 4,50,000**

परिसंपत्ति का निरीक्षण	**09-07-2024 से 17-08-2024 तक 11.00 से 05.00 बजे के मध्य**
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	**तिथि : 19-08-2024 समय : 5 बजे तक**
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	**ई-नीलामी, पोर्टल के माध्यम से, जब तक विक्रय संपन्न नहीं हो जाता तब तक, 20-08-2024 को 11.00 से 11.30 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ होगी।**
नोडल बैंक खाता नाम	**दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सेंट्रल ऑफिस इन फेवर ऑफ अबव अकाउंट्स खाता संख्या- 1101351000000973, आईएफएससी कोड : केवीबीएल0001101**
संपर्क हेतु व्यक्ति तथा उनका दूरभाष नंबर	**ऊपर वर्णितानुसार**

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक की / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.kvb.co.in/Property** पर नीलामी के अंतर्गत उल्लिखित संपत्ति के तहत और हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल **www.bankauctions.in** पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व ऋणभार- शून्य (बैंक की जानकारी में लाया गया)

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता/ओं तथा गारंटर/रों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। ऐसा करने में